

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज' विषय पर दिनांक 16-07-2018 से 26-07-2018 तक दो सप्ताह के कोर्स का आयोजन किया गया।



इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 2 पुलिस निरीक्षक, 10 पुलिस उप निरीक्षक, 1 सहायक पुलिस उप निरीक्षक, 3 हैड कानिस्टेबल एवं 12 कानिस्टेबल ने भाग लिया। इसमें साईबर अपराधों के अनुसंधान विषय पर प्रथम सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं सुश्री भावना सुगन्धा, टेक्निकल एक्सपर्ट, श्री प्रमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर, आरपीए, श्री उम्मेद मील, साईबर एक्सपर्ट, श्री निशीथ दिक्षित, एडवोकेट, जयपुर ने कम्प्यूटर की मूलभूत जानकारी यथा: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट, विभिन्न कम्प्यूटर डिवाइसेज का प्रैक्टिकल उपयोग, साईबर अपराध संबंधित IT Act, स्पेशल एक्ट, अन्य लोकल एक्ट एवं IPC की लगने वाली विभिन्न धाराएँ, विभिन्न साईबर अपराध जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस व वोर्म फैलाना, फिशिंग, विशिंग, कम्प्यूटर नेटवर्क डिसरप्शन, साईबर बुलिंग, आईडेंटिटी थैफ्ट, साईबर आतंकवाद, ई-मेल से धोखाधड़ी, ई-मेल स्पूफिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड फ्रॉड, कॉपी राईट से संबंधित अपराध, पोनोग्राफी, धोखाधड़ी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वेब डीफेसमेन्ट, वेबसाईट हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी आदि से संबंधित अपराध करने के

तरीका-ए-वारदात बताने के अलावा साईबर अपराधों को इन्वेस्टिगेट करने हेतु डाटा स्टोरेज डिवाइसेज की ईमेजिंग तैयार करना एवं हैस वैल्यू निकालना, वेबसाईट एवं ई-मेल से संबंधित अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करना तथा विभिन्न कानूनों यथा: IT Act., इंटरमीडियरी गार्ड लाईन, टेलीग्राफ एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों व संबंधित नियम, कोर्ट के निर्णयों के बारे में बताया।

साईबर अपराध से संबंधित कोर्स के दूसरे सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, एटीएस, श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर, आरपीए, डॉ. शैलेन्द्र झा, उप निदेशक, एफएसएल, श्री आँशो पार्थ, साईबर एक्सपर्ट, श्री शेखर सिंह, बैंक मैनेजर (इन्वेस्टिगेशन), श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक, सीआईडी(सीबी), जयपुर, द्वारा विभिन्न प्रकार की कॉल डिटेल व टॉवर डम्प का विश्लेषण, एमएस-एक्सल का उपयोग करते हुए सीडीआर विश्लेषण करवाया, साईबर अपराध के अनुसंधान के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पहचान, चैन ऑफ कस्टडी, संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पैकिंग कर FSL भिजवाना, FSL से पूछे जाने वाले प्रश्न व पूरी प्रक्रिया के दौरान डूज् व डॉन्ट्स की जानकारी दी, मोबाईल फोन फॉरेंसिक, फिशिंग, विशिंग तथा सोशल मिडिया से संबंधित अपराधों, बैंकिंग फ्रॉड एवं इनके डेटा कलेक्शन को केस स्टडी के माध्यम से समझाया गया, साईबर अपराधों को इन्वेस्टिगेट करने की SOP तैयार करवाई गई।

कोर्स के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक(स्पेशल कोर्स) तथा सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर थे।